जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

वित्तीय हानि कम करने के लिए डिस्कॉम्स की कार्य योजना तैयार
दो साल में छीजत को 15 प्रतिशत पर लाया जायेंगा

जयपुर 21 जून। विद्युत वितरण निगमों में वित्तीय हानि 15 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य को 2018 तक प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस कार्य योजना के अर्न्तगत सभी स्तर के फील्ड अधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर दिया गया है।

पिछलें दिनों वित्तीय हानि कम करने के लिए गठित टास्क फोर्स ओर डिस्कॉम कार्डिनेशन फोरम की बैठक में वित्तीय हानि कम करने के उपाय पर विचार करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। जिसके बाद यह कार्य योजना तैयार करके प्रभावी क्रियान्वित के लिए तीनों विद्युत वितरण निगमों के उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री श्रीमत् पाण्डे ने कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय हानि कम करने के लिए उठाये जाने वाले नये कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस दिशा में जो कार्य किये जा रहे है वे चलते रहेंगें, ओर उनकी क्रियान्विती में कोई परेशानी नही आयेगी।

कार्य योजना में ग्रामीण, शहरी ओर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कार्य के मानदण्ड अलग से निर्धारित किये गए है। इसके साथ ही कार्य योजना में वित्तीय हानि रोकने के लिए तकनीकी संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया गया है। इस योजना में प्रत्येक 11 केवी फीडर पर कार्य करने वाले फीडर इंचार्ज को सबसे छोटी इकाई माना गया है, ओर यही से वित्तीय हानि रोकने की पहल करने पर जोर दिया गया है।

कार्य योजना के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक 11 केवी फीडर पर एक इंचार्ज की नियुक्ति की जायेंगी ओर वह अपने फीडर से दी जाने वाली बिजली का निरन्तर हिसाब रखेंगा, जिससे डिस्कॉम के स्तर पर उच्च अधिकारी यह आकलन कर सकेंगें की पूरे प्रदेश में फीडर वार कितनी बिजली की आवश्यकता है, ओर उसी के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। कार्य योजना में प्रत्येक फीडर पर मांग ओर आपूर्ति की हर साल ऑडिट करने पर जोर दिया गया है।

डिस्कॉम अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार की उदय योजना को अपनाने के बाद वितरण निगमों का यह दायित्व आ गया है कि वित्तीय हानि को 15 प्रतिशत के स्तर पर लाने के प्रभावी कदम उठाये जाएं, इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों ओर कर्मचारियों से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाने का आव्हान किया।

यह कार्य योजना तीन चरणों में क्रियान्वित की जायेगी, जिसमें पहले चरण में अत्यधिक हानि वालें फीडरों में सुधार का कार्य किया जायेगा, यह कार्य दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरे चरण का कार्य जून 2017 ओर तीसरे चरण का कार्य दिसम्बर 2017 तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राामीण क्षेत्रों में प्रत्येक फीडर पर प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था की जायेगी, ओर इसके लिए फीडर मेनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसकी हर महीने एक बैठक होगी, ओर उसमे क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता गांव वालों को नये आदेश और परिपत्रों की जानकारी देकर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के महत्व को बतायेगा। समय समय पर इन बैठकों में वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगें।

कार्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली फीडर वार वित्तीय हानि की प्रत्येक डिस्कॉम अलग से जानकारी एकत्र करेगी, ओर फीडर मेनेजमेंट समिति के सामने पूरी जानकारी रखी जाएगी, जिससे गांव वालों को यह समझाया जा सके कि बिजली चोरी ओर छीजत के कारण वितरण निगम

को कितना नुकसान हो रहा है। इससे बिजली चोरी रोकने के प्रति गांव वालों को भी जागरूक किया जा सकेगा।

कार्य योजना के प्रमुख बिन्दुः–

ग्रामीण क्षेत्रों

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अत्यधिक हानि वाले 11 केवी फीडरों की पहचान कर उनमें आवश्यक तकनीकी सुधार का कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना।
- प्रत्येक वृत द्वारा आगामी 7 दिवस में पहले, दूसरे एवं तीसरे चरण में किए जाने वाले तकनीकी सुधारों के लिए 33 केवी सब–स्टेशनों की पहचान करेगें।
- प्रथम चरण में दिसम्बर, 2016 तक, द्वितीय में जून, 2017 एवं तृतीय चरण में दिसम्बर, 2017 तक तकनीकी सुधार के लिए फील्ड अधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करना।
- तकनीकी सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों पर हानि 15 प्रतिशत के स्तर पर आने के बाद सिस्टम को सही रखने एवं बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रभावी विजिलेन्स जांच की कार्यवाही की जाएगी।
- हानि के स्तर की जानकारी के लिए प्रत्येक ग्रामीण फीडर पर की गई बिजली की आपूर्ती व खपत के आधार पर एनर्जी ऑडिट।
- फेज द्वितीय एवं तृतीय के 33 केवी सब–स्टेशनों पर प्रभावी विजीलेन्स जांच की कार्यवाही।
- 11केवी फीडर पर खपत में कमी के लिए सघन सतर्कता जांच की कार्यवाही करना ।

शहरी क्षेत्रों में

- वितरण ट्रांसफार्मरों पर एनर्जी आडिट का कार्य एक वर्ष में पूरा करना।
- अत्यधिक हानि वाले क्षेत्रों की पहचान कर कर उन क्षेत्रों में खराब मीटरों को बदलना, जली हुइ एवं खराब सर्विस लाईन को आर्मड केबल से बदलना तथा आवश्यक होने पर कनेक्टर के माध्यम से नए कनेक्शन जारी करना।
- हानि को कम करने के लिए तकनीकी सुधार, सतर्कता जांच की कार्यवाही के लिए रोड मैप बनाकर कार्यवाही करना।
- शहरी क्षेत्रों में हानि कम करने की इन कार्यवाही के लिए अधिशाषी के अभियन्ता जिम्मेदार होंगे।

इण्डस्ट्रियल क्षेत्रों में

- अत्यधिक हानि वाले फीडर व औधोगिक क्षेत्रों में फीडर के अनुसार एनर्जी आडिट।
- आवश्यक तकनीकी सुधार कार्य व विजीलेन्स जांच कार्यवाही करना।
- चोरी संभावित उपभोक्ताओं के परिसरों के बाहर चैक मीटर स्थापित कर जांच करना।
- अधिशासी अभियन्ता प्राथमिक रुप से इन कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 393/2016